हिन्दुस्तान

तरक्की को चाहिए नया नजरिया

बुधवार, 30 दिसंबर 2015, नई दिल्ली, पांच प्रदेश, 18 संस्करण

www.livehindustan.com

हिन्दुस्तान हेल्पलाइन

रूमा पाठक
प्रिंसिपल, एमएम पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा

1. मैं रोहिणी में किराये के मकान में तीन साल से रह रहा हूं। सिर्फ मतदाता पहचान-पत्र है। बच्चे का दाखिला ईडब्ल्यूएस में कराना है। क्या पहचान पत्र के लिए दूसरे किसे दस्तावेज की भी जरूरत होगी?

पवन पीपल, रोहिणी

जवाब: अगर आपके पास मतदाता पहचान-पत्र है तो इसके आधार पर आवेदन हो जाएगा, लेकिन यह पहचान-पत्र उसी पते पर होना चाहिए जहां आप तीन साल से रह रहे है। कोई तकनीकी उलझन होने पर संबंधित स्कूल से संपर्क करें।

2. मैं एससी कैटेगरी से हूं। सरकारी नौकरी करती हूं। सालाना आय 3 लाख 50 हजार रुपये है। क्या मैं बच्चे के लिए ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन कर सकती हूं?

नेहा कश्यप, अभिभावक

जवाब: ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सामान्य वर्ग की सालाना आय एक लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एससी और एसटी के लिए आय की कोई सीमा नहीं है इसलिए आप आवेदन कर सकती हैं। आपके बच्चे को डिस्एडवांटेज कैटेगरी में सीट मिलेगी।

3. मेरे दो जुड़वा बच्चे हैं। एक बेटा और एक बेटी। दोनों की उम्र 3 साल 3 महीने है। क्या दोनों को नर्सरी में फर्स्ट चाइल्ड के अंक मिलेंगे? क्या बेटी को फर्स्ट चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड के भी अंक मिलेंगे?

रवि रंजन प्रसाद कर्ण, वसंत कुंज

जवाब: चूंकि आपके जुड़वा बच्चे हैं इसलिए तकनीकी तौर पर स्कूल फर्स्ट चाइल्ड के अंक देंगे। गर्ल चाइल्ड के भी अंक मिलेंगे।